मा0 विद्यापरिषद् की 28वीं बैठक, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की मा. विद्यापरिषद् की 28वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 (सोमवार) पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय में ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नांकित सदस्य महानुभावों ने प्रतिभाग किया :–

(i) कुलपति – प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री **– अध्यक्ष**

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष :–

1. डॉ. प्रतिभा शुक्ला
   संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
2. डॉ. कामाख्या कुमार
   संकायाध्यक्ष–आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
3. डॉ. शैलेश कुमार तिवारी
   संकायाध्यक्ष– वेद वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष :–

4. डॉ. प्रतिभा शुक्ला
   सह आचार्या/विभागाध्यक्ष–साहित्य
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
5. डॉ. राकेश कुमार सिंह
   सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष–व्याकरण
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
6. डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी
   सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष–योग विज्ञान
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
7. डॉ. रामरतन खण्डेलवाल
   सहायक आचार्य–साहित्य
   प्रभारी विभागाध्यक्ष–पुस्तकालय विज्ञान/ज्योतिष
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
8. डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र
   सहायक आचार्य/प्रभारी विभागाध्यक्ष
   शिक्षाशास्त्र विभाग
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
9. डॉ. अजय परमार
   सहायक आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
10. डॉ. अरुण कुमार मिश्र **(ऑनलाईन उपस्थित)**
    सहायक आचार्य/प्रभारी विभागाध्यक्ष–शुक्लयजुर्वेद
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार
11. डॉ. उमेश कुमार शुक्ल
    सहायक आचार्य/प्रभारी विभागाध्यक्ष–पत्रकारिता
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों –

12. प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला
    आचार्य–भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

***[1](v) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान –**

***[2](vi) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तराखण्ड –**

vii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य :–

13. श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला, प्राचार्य, श्री ज्वालामुखी संस्कृत महाविद्यालय
    देवढुंग, विनयखाल, जिला–टिहरी गढ़वाल।
14. डॉ. रामभूषण बिजल्वाण, प्राचार्य, श्री गुरूराम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय,
    देहरादून।

(viii) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया गया है –

(क) विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य :–

15. डॉ. प्रतिभा शुक्ला
    उपाचार्य–साहित्य विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
16. डॉ. कामाख्या कुमार
    उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
17. डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी
    उपाचार्य–साहित्य विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
18. डॉ. शैलेश कुमार तिवारी
    उपाचार्य–व्याकरण विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

(ख) विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक :–

19. डॉ. बिन्दुमती द्विवेदी
    सहायक आचार्या–शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
20. श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत
    सहायक आचार्या–शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
21. डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट
    सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
22. डॉ. अरूण कुमार मिश्र **(ऑनलाईन उपस्थित)**
    सहायक आचार्य–वेद विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

(ग) स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हो) :–

23. डॉ. प्रदीप कुमार सेमवाल **(ऑनलाईन उपस्थित)**
    श्री बदरीनाथ वेद–वेदांग स्नातकोत्तर
    संस्कृत महाविद्यालय, जोशीमठ।

24. डॉ. अनिल चन्द्र नौटियाल (ऑनलाईन उपस्थित)
श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
परमार्थ, निकेतन पो. स्वार्गाश्रम पौड़ी गढ़वाल।
25. डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद डंगवाल
श्री गुरूराम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय, देहरादून।
26. डॉ. मुकेश चन्द्र खण्डूड़ी (ऑनलाईन उपस्थित)
श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय
62, प्रीतम पथ, डालनवाला, देहरादून।

(घ) सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों) :– वर्तमान में कोई नहीं

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष :–

27. डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी, सहायक आचार्य–योग विज्ञान विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष :–

28. कु. मनमीत कौर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच प्रतिष्ठित व्यक्ति :–

29. डॉ. सुधीर सिंह (ऑनलाईन उपस्थित)
दयाल सिंह कॉलेज (Morning)
दिल्ली विश्वविद्यालय।
30. डॉ. एस.एस. जायसवाल (से.नि.), प्राचार्य
एस.एन.जे.एन. कॉलेज
हरिद्वार।
31. प्रो. सत्यपाल सिंह (ऑनलाईन उपस्थित)
संस्कृत विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।
32. प्रो. संजीव कुमार त्रिवेदी (ऑनलाईन उपस्थित)
इलैक्ट्रॉनिक एण्ड कम्युनिकेशन विभाग
एप्लाइड सांइस और मानविकी का संचार
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(xii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सदस्य :–

33. श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायक आचार्या, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
34. डॉ. अजय परमार, सहायक आचार्य, इतिहास, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
35. डॉ. सुमन प्रसाद भट्ट, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

श्री गिरीश कुमार अवस्थी
कुलसचिव/सचिव

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :–

1. डॉ. बलदेव प्रसाद चमोली, श्री ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार।
2. प्रो. सन्तराम वैश्य
पूर्व अध्यक्ष–हिन्दी विभाग
गुरुकुल कागंड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्या : 01 मा. विद्यापरिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त विद्यापरिषद् की 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 02 मा. विद्यापरिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 13 जून, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं कृत कार्यवाही का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त विद्यापरिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 13 जून, 2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की एवं कृत कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 03 विश्वविद्यालय में शंकराचार्य शोध पीठ की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय में शंकराचार्य शोध पीठ की स्थापना करने हेतु सहमति दी।**

मद संख्या : 04 विश्वविद्यालय में निम्न शैक्षणिक विभागों के अन्तर्गत अतिथि व्याख्याताओं को नियोजित किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् हैं :–

1. पत्रकारिता
2. ज्योतिष
3. साहित्य
4. योग
5. वेद
6. इतिहास

वर्तमान में पत्रकारिता एवं ज्योतिष विभाग में कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं जबकि विभागों में छात्रों का अध्ययन–अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाना है कि अतिथि व्याख्याताओं को नियोजित करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्रांक 991/ प्रशासन/2023 दिनांक 09 फरवरी, 2023 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है शासन स्तर पर स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2023–24 आरम्भ हो गया है जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों द्वारा शिक्षकों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है जिससे अध्ययन–अध्यापन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय–10 भाग–1 के परिनियम संख्या–10.02 पर निम्न अंकित किया गया है :–

विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं, जिसमें विद्या–परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन–कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं, जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जाँय, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसन्धान–सहचर अथवा अनुसन्धान–सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

तत्कालीन कक्षाओं को जब तक राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक नितान्त अस्थायी तौर पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। यू.जी.सी. विनियम, 2018 के नियम–13 के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवादन 500/– या समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :

मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय में 1. पत्रकारिता 2. ज्योतिष 3. साहित्य 4. योग 5. वेद 6. इतिहास विभागों के अन्तर्गत तत्काल कक्षाओं को जब तक राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक नितान्त अस्थायी तौर पर अतिथि शिक्षकों को आवश्यकतानुसार नियोजित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जिससे विश्वविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

मद संख्या : 05

विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक विभागों :– वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, योग, शिक्षाशास्त्र, भाषा एवं आधुनिक ज्ञान–विज्ञान (हिन्दी), इतिहास, पर्यावरण विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के अन्तर्गत विद्यावारिधि (पीएच.डी.) करने हेतु प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त काउन्सिलिंग/साक्षात्कार में उत्तीर्ण छात्रों की सूची मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :

मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर विद्यावारिधि (पीएच.डी.) करने हेतु प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त काउन्सिलिंग/साक्षात्कार में उत्तीर्ण छात्रों की सूची का अवलोकन किया। मा. विद्यापरिषद् के सदस्य डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुयी हैं इस सम्बन्ध में शिकायत निवारण किया जाना आवश्यक है। मा. विद्यापरिषद् ने डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत कथन का संज्ञान लिया जिस पर मा. विद्यापरिषद् द्वारा एक समिति गठित किये जाने हेतु मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद संख्या : 06

मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का स्थलीय निरीक्षण उत्तराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या 908/XLII-1/2018–06(07) 2011 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा गठित वर्गीकरण समिति ने दिनांक 05.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण समिति द्वारा औचित्यपूर्ण/मानकानुरूप नहीं पाये जाने के कारण उक्त महाविद्यालय को वर्गीकरण हेतु महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति नहीं की गयी।

2. उक्त वर्गीकरण समिति द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्या को मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 21वीं बैठक दिनांक 25.01.2021 के मद संख्या 03 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :– **महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें।**

उक्त प्रस्ताव को कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांक 28.01.2021 के मद संख्या 04 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

महाविद्यालय को शैक्षिक सत्र 2021–22 तक का अवसर दिया जाता है कि वह भूमि सम्बन्धी अभिलेख व वांछित कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2022–23 से शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

मा0 विद्यापरिषद् एवं मा0 कार्यपरिषद के विनिश्चय के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 765/प्रशासन/2021दिनांक 17.02.2021 द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया।

3. श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन, खड़खड़ी हरिद्वार के पत्रांक संख्या 57/प्रस्ताव/2022–23 दिनांक 14.02.2023 द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 29.03.2023 को विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को मा0 कुलपति महोदय के निर्देशानुसार मा0 विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुई 27वीं बैठक दिनांक 13.06.2023 के मद संख्या 02 पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्न विनिश्चय हुआ :–

मा0 विद्यापरिषद ने उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया तथा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पत्र को शासन द्वारा गठित समिति को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

4. मा0 विद्याापरिषद् के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड शासन संस्कृत शिक्षा के आदेश संख्या 908/XLII-1/2018-06(07) 2011 दिनांक 24.12.2018 एवं शासनादेश संख्या 141/XLII-1/2023-06(07)/2011 संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 26.06.2023 के क्रम में गठित वर्गीकरण समिति द्वारा श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का दिनांक 06.07.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण समिति द्वारा उक्त महाविद्यालय को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति प्रदान की गयी है।

अतः प्रकरण मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन खड़खड़ी, हरिद्वार का वर्गीकरण समिति द्वारा महाविद्यालय को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में रखने की संस्तुति किये जाने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन किया वर्गीकरण में निरीक्षण समिति की आख्या को स्वीकार करते हुये महाविद्यालय के अन्तर्गत वर्गीकरण की संस्तुति को निजी महाविद्यालय की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या : 07 मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के सत्र 2016–17, 2017–18 एवं सत्र 2018–19 में शास्त्री कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा उपाधि पत्रों पर ख वर्ग विषय में हिन्दी विषय को अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये गये हैं।

सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में लागू पाठ्यक्रम प्रारूप में 'ख वर्ग' हिन्दी विषय का विकल्प अंकित नहीं है।

(i) संज्ञान में लाना है कि सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में शास्त्री कक्षा में प्रविष्ट छात्रों द्वारा प्रत्येक सत्र में अनिवार्य हिन्दी (कुल 08 क्रेडिट) का अध्ययन किया गया है।

(ii) सत्र 2018–19 में शास्त्री कक्षा में प्रविष्ट छात्रों द्वारा केवल तीन सत्रों में अनिवार्य हिन्दी विषय में (कुल 03 क्रेडिट) का अध्ययन किया गया है।

छात्रों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी उपाधि पत्र में हिन्दी विषय को भी 'ख वर्ग' में अंकित किया जाये ताकि भविष्य में एल.टी. की होने वाली परीक्षाओं में उन्हें लाभ मिल सके।

उक्त प्रस्ताव को मा. विद्यापरिषद् की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के मद संख्या–21 पर प्रस्तुत किया गया जिस पर मा. विद्यापरिषद् ने मा. कुलपति महोदय द्वारा विधि विशेषज्ञ को सम्मिलित करते हुये समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की एक बैठक दिनांक 24.04.2023 को सम्पन्न हुयी जिस पर निम्न निर्णय लिया गया :–

उक्त सम्बन्ध में छात्रों के प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शास्त्री की उपाधि के आधार पर हिन्दी विषय के शिक्षक के रूप में भर्ती होने से वंचित किए जाने सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त पुनः बैठक आहूत कर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

अतः प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया तथा प्रकरण पर विस्तृत अध्ययन कर आवश्यकतानुसार लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन आयोग से परामर्श कर तथ्य एवं सुझाव उपलब्ध कराये जायेंगे तदुपरान्त पूर्व में गठित समिति के समक्ष तथ्य, साक्ष्य एवं सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मा. विद्यापरिषद् ने निम्नलिखित द्वि–सदस्यीय समिति का गठन किया :–**

1. **डॉ. अरविन्द नारायण मिश्र, प्रभारी विभागाध्यक्ष–शिक्षाशास्त्र विभाग**
2. **श्रीमती मीनाक्षी सिंह रावत, सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग–संयोजक/सदस्य**

मद संख्या : 08 मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग के अन्तर्गत साहित्य विषय में 20 सीटें निर्धारित की गयी हैं जो कि इन सीटों में प्रवेश पूर्ण हो गये हैं परन्तु छात्रों में विशेष रूझान देखने में आ रहा है इस कारण साहित्य विषय में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव साहित्य विभाग द्वारा दिया गया है। मा. कुलपति महोदय द्वारा मा. विद्यापरिषद् की अनुमोदन के प्रत्याशा में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया इस प्रकार सत्र 2023–24 में साहित्य विभाग में सीटों की प्रवेश क्षमता 30 हो गयी हैं।

अतः प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया।**

मद संख्या : 09 विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम आरम्भ करने विषयक प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय : **मा. विद्यापरिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम आरम्भ करने विषयक प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श किया तथा विश्वविद्यालय में शिक्षाचार्य (एम.एड.) पाठ्यक्रम आरम्भ करने सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त उक्त पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।**

मद संख्या : 10

मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सम्पन्न हुयी 26वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2023 के अन्य मद के बिन्दु संख्या–02 पर निम्न निर्णय लिया गया :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या–24–1/2016 (CPP-III), 04 अक्टूबर, 2017 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर आपदा प्रबन्धन को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु समिति गठित करने के लिये मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

उक्त सम्बन्धित प्रकरण हेतु मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को आहूत की गयी, जिसमें समिति द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में आपदा प्रबन्धन विषय को non-credit पत्र के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर आरम्भ किये जाने की संस्तुति की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में सत्र 2023–24 से विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर आपदा प्रबन्धन विषय को non-credit पत्र के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर आरम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा. विद्यापरिषद् के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :

उक्त प्रस्ताव वर्तमान में स्थगित किया जाता है।

मद संख्या : 11

मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु 'हस्तशिल्प विद्या' में षाण्मासिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना है इस सम्बन्ध में मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति ने पाठ्यक्रम तैयार किया है।

अतः कौशल विकास हेतु हस्तशिल्प विद्या में तैयार षाण्मासिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम मा. विद्यापरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ, विचार–विमर्श एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :

मा. विद्यापरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु 'हस्तशिल्प विद्या' में षाण्मासिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने सम्बन्धी तैयार पाठ्यक्रम का अवलोकन कर पाठ्यक्रम को आरम्भ करने की स्वीकृति दी।

अन्य मद :

मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. **विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP–2020 के अन्तर्गत आधारभूत विज्ञान (Basic Science) पाठ्यक्रम (02 क्रेडिट) अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन–अध्यापन कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस विषय में अध्ययन–अध्यापन हेतु जब तक शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय की वेब–साइट पर अपलोड किये जाने वाली पाठ्य सामग्री (Notes) ऑनलाईन के द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।**
2. **विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में शास्त्री प्रथम वर्ष में 20 सीट (प्रवेश क्षमता) के सापेक्ष 20 सीटों में छात्रों द्वारा प्रवेश लिया गया है। वेद–वेदांग संकायाध्यक्ष, डॉ. शैलेश कुमार तिवारी द्वारा मा. विद्यापरिषद् को अवगत कराया गया कि शास्त्री प्रथम वर्ष, व्याकरण विषय में 20 छात्रों द्वारा प्रवेश लिया गया है कतिपय छात्र अध्ययन हेतु इच्छुक हैं। अतः 05 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि की जाय। इस सम्बन्ध में मा. विद्यापरिषद् द्वारा शास्त्री प्रथम वर्ष, व्याकरण विषय में 05 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि किये जाने हेतु सहमति दी।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक सम्पन्न हुयी।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री)
कुलपति/अध्यक्ष